बिहार सरकार

अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0–4/निदे0 आवा0 वि0/छात्रा(नि0म0)01–10–20/2016– 09

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक–16.04.18

विषयः **वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों के अनुरक्षण, मरम्मति एवं वार्षिक रख–रखाव हेतु प्रति विद्यालय ₹5.00 लाख (पाँच लाख रू0) के दर से अनुसूचित जाति के 65 आवासीय विद्यालयों के लिए ₹325.00 लाख (तीन करोड़ पचीस लाख रू0) एवं अनुसूचित जनजाति के 15 आवासीय विद्यालयों के लिए ₹75.00 लाख (पचहत्तर लाख रू0) अर्थात कुल ₹400.00 लाख (चार करोड़ रू0) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश –*स्वीकृत।*

2– (i) अनुसूचित जाति के लिए व्यय मुख्य शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण–उप मुख्यशीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–277–शिक्षा–उपशीर्ष–0003–आवासीय विद्यालय–विषय शीर्ष–0003.27.02–अनुरक्षण एवं मरम्मत–मांग संख्या–44–विपत्र कोड संख्या–44-2225012770003 के अन्तर्गत विकलनीय है।

(ii) अनुसूचित जनजाति के लिए व्यय मुख्य शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण और अल्पसंख्यकों का कल्याण–उप मुख्यशीर्ष–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–277–शिक्षा–उपशीर्ष–0004–आवासीय विद्यालय–विषय शीर्ष–0004.27.02–अनुरक्षण एवं मरम्मत–मांग संख्या–44–विपत्र कोड संख्या–44-2225022770004 के अन्तर्गत विकलनीय है।

3– आवासीय विद्यालयों के अनुरक्षण, मरम्मति एवं वार्षिक रख–रखाव के लिए निर्गत सामान्य अनुदेश संख्या–2148 दिनांक–22.08.2017 के आलोक में योजना की लागत की समीक्षा एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राधिकार निम्नवत् होंगेः–

क्रमांक	योजना की लागत	समीक्षा प्राधिकार	प्रशासनिक स्वीकृति प्राधिकार
1	₹1,00,000/–तक	संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक	जिला कल्याण पदाधिकारी
2	₹1,00,001/– से ₹5,00,000/–तक	जिला कल्याण पदाधिकारी	उप विकास आयुक्त

4– आवंटनादेश निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा निर्गत किया जाएगा।

5– इस स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे। विभागीय अनुदेश संख्या–2148 दिनांक–22.08.2017 द्वारा निर्गत अनुदेशों का अनुपालन करते हुए राशि व्यय की जाएगी तथा किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नही किया जाएगा।

6– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र सं0–2561 दिनांक 17–4–98 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

7– महालेखाकार, बिहार को इस राशि के व्यय से संबंधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा। साथ ही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार, बिहार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

8– राशि की समुचित एवं नियमानुसार उपयोग के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी उत्तरदायी होगें तथा वे राशि के व्यय के पश्चात् व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे।

9– प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार का अनुमोदन सं0 4/निदे0 आवा0 वि0/छात्रा(नि0म0)01–10–20/2016–के पृ0– /टिप्पणी पर प्राप्त है।

10– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

11.4.18

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– सं0–4/निदे0 आवा0 वि0/छात्रा(नि0म0)01–10–20/2016– 02 पटना, दिनांक– 16.04.18

प्रतिलिपिः– (1) वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) (i) निदेशक अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/संयुक्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/उप निदेशक (मु0), अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सहायक निदेशक अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/अवर सचिव, प्रभारी बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु जनजाति कल्याण विभाग/आई0 टी0 मैनेजर,/संबधित प्रशाखा पदा0, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ii) सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त/सभी संबंधित उप निदेशक, कल्याण/सभी संबंधित जिला कल्याण पदा0/सभी संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11.4.18

सरकार के सचिव।